राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :–एफ.2(5034)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/ML-195 जयपुर, दिनांक : 11/03/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री योगेन्द्र सिंह चौहान, सूचना सहायक, कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान, महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर द्वारा **VMOU, KOTA से PGDCA 2020 में अध्ययन हेतु पत्राचार माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है।** उक्त हेतु **सुश्री योगेन्द्र सिंह चौहान**, सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

—sd—

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराज.)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान, महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. सुश्री योगेन्द्र सिंह चौहान, सूचना सहायक, कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान, महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

11/03/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)

Scanned with CamScanner